

an>

Title: Issue regarding Gurudwara Act.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बहुत गंभीर और संवेनशील मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। आप और सारा देश जानता है कि सिक्ख संप्रदाय के लोगों का इस देश की आजादी में जो हिस्सा था और बाद में जो हिस्सा है, उन पर गौरव किया जा सकता है, जहां तक हमारी भावनाओं का सवाल है, हमारा जो गुरुद्वारा प्रबंध है, अंग्रेजों के समय में इस पर अंग्रेज के पिछुओं का कब्जा हो गया था। उसको हटाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्ट उठाए। हमारे पूर्वजों ने रेल इंजन के नीचे सिर दिए, और गोतियां खाने के बाद, वर्ष 1922 में यह प्रबंध सिक्खों को दिया गया। वर्ष 1925 में एक एक्ट बनाया गया था, जिसको गुरुद्वारा एक्ट कहते हैं। उस समय महात्मा गांधी जी ने एक लेटर श्री अकाल तख्त कांता साहब के जतेथार साहब को लिखा, और ब्याई टी कि आपने देश की आजादी की पहली लड़ाई जीत ली है। उस एक्ट के तहत गुरुद्वारा प्रबंध चलता रहा। जब देश का बंटवारा हुआ तो हमारे गुरुद्वारा प्रबंध भी बंट गए। हमारे कुछ गुरुद्वारा साहेबान पाकिस्तान में रह गए। वर्ष 1959 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस गुरुद्वारा प्रबंध को बांटने की कोशिश की। उसका बहुत विरोध हुआ तो उस समय के प्रधान मंत्री श्री पं. जवाहर लाल नेहरू जी ने मास्टर तारा सिंह को बुला कर एक समझौता किया। वह समझौता बहुत बड़ा है। उसको मास्टर तारा सिंह नेहरू पैक्ट बोला जाता है। मैं उसमें से दो लाइनें पढ़ना चाहता हूँ -

"It is common ground amongst all concerned that there should be no Government interference in religious affairs. Nevertheless complaints have arisen of such interference in regard to Gurudwara management and amendments made in the Gurudwara Act."

उसका लास्ट है -

"Any amendment in the Gurudwara Act should be undertaken after obtaining the approval of the General Committee of the SGPC."

मैंडम, यह स्पष्ट था। उस समय से ले कर आज तक, जब भी इसमें कोई चेंज करने की बात आई, इसमें कोई अमेंडमेंट करने की बात आई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती रही, पार्लियामेंट में एक्ट बनते रहे, नोटिफिकेशन होते रहे। हमें इस बात का खेद है कि कुछ दिन पहले हरियाणा की सरकार ने एक एक्ट बनाया। ... (व्यवधान) जो सीधे आर्टिकल-254 का उल्लंघन है। कन्करन्ट लिस्ट में स्टेट अफेयर की दखलान्दाजी है। उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अर्गेनी जनरल ने वहां की सरकार को, वहां के गवर्नर को एक ऐडवाइस दी है कि आपने आर्टिकल - 254 को तोड़ा है, ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप यहां की बात कीजिए।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से लॉ मिनिस्टर जी से यह कहना चाहता हूँ कि जब इतनी बड़ी अनवॉनस्टीट्यूशनल, इलीगल कार्रवाई हुई है, तो भारत सरकार को उसको नोटिस में लेना चाहिए। भारत सरकार उसका क्या नोट लेती है, उसकी क्या पोजिशन है। ... (व्यवधान) हम गुरुद्वारा प्रबंध को टूटने नहीं देंगे क्योंकि इसके साथ हमारी कुर्बानियां हैं। ... (व्यवधान) मैं आज इस सभा में कहना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने वोट लेने के लिए, यजसी तोह लेने के लिए सिक्खों को बांटने का काम किया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, ऐसे नहीं होता है।

â€¦ (व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : पहले ... 1984 में इमरजेंसी का गुरसा निकालने के लिए हमारे दरबार साहिब पर अटैक किया। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे किसी का नाम नहीं लिया जाता।

â€¦ (व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : निहत्थे लोगों को मारा। ... (व्यवधान) आज उनके सिर पर बंदूकें तानकर हमारे गुरुद्वारे को बांटा जा रहा है। ... (व्यवधान) हम ऐसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) â€¦**

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको ऐलाउ किया है इसका मतलब यह नहीं है कि आप ऐसे करें।

â€¦ (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चन्दूमाजरा जी, आप जानते हैं।

â€¦ (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई है।

â€¦ (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी का नाम नहीं लिया जाएगा।

â€¦ (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, the House will take up Demands for Grants relating to the Ministry of Water Resources.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, I have a submission. I have given a notice of privilege.

माननीय अध्यक्ष : आपकी प्रिविलेज नोटिस मिली है, मैं इसको देख रही हूँ, बाद में बताऊंगी।

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज) : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार नोटिस दिया है, उसकी बात सुन लीजिए। ... (व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदया, कानून मंत्री जी यहां बैठे हैं, इस विषय को स्पष्ट कर दें, नहीं तो बहुत बड़ा विवाद और टकराव खड़ा हो गया है, कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस हो रही है। ... (व्यवधान) कानून की क्या पोजीशन है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप किस बारे में बोल रहे हैं? किस बात पर बोल रहे हैं?

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदया, कानून मंत्री जी बैठे हैं, थोड़ी स्थिति स्पष्ट हो जाए। वहां बहुत बड़ा कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो गया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर मंत्री जी कुछ बताना चाहें, तो बताएं, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। If he wants to say anything, he can. I have no objection if he wants to say. क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?

संघार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : अध्यक्ष महोदया, जो विषय माननीय सदस्य श्री चन्दूमाजरा जी ने उठाया है, वह सरकार के ध्यान में है। अर्टोर्नी जनरल की राय के आधार पर सरकार ने एक आग्रह किया था, इसके आगे जो विषय है, वह गृहमंत्रालय के पास विचारधीन है। ... (व्यवधान)